जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/संबद्धता/2011/4101

दिनांक

तत्काल

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय,

विषय :- शासी निकाय (Governing Body) की बैठक आयोजित करने बावत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में सूचनार्थ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय परिनियम 28(6) (1) के प्रावधानानुसार प्रत्येक महाविद्यालय के संचालन हेतु शासी निकाय का गठन किया गया है। उपरोक्त शासी निकाय में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा दो सदस्यों का नामांकन किया जाता है। परिनियम 28(7) के अनुसार शासी निकाय की बैठक एक वर्ष में कम से कम तीन बार आयोजित की जाना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्यों से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि अशासकीय महाविद्यालयों के द्वारा शासी निकाय की बैठक आयोजित नहीं की जा रही है ना ही इनमें सदस्यों को आमन्त्रित किया जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 10 दिसम्बर 2011 तक सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 में आयोजित बैठकों के कार्यविवरण सम्बद्धता शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा कराये जावें। बैठकों के कार्यविवरण की सूचना नहीं देने वाले महाविद्यालयों के प्रकरण कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में रखे जावेंगे एवं कार्यपरिषद् द्वारा महाविद्यालय में विरूद्ध कोई निर्णय लिया जाता हैं, तो उसकी पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

भवदीय
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)

E:Yogi/Gen.Soc981